न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

दावा संख्या 156/2019 बाबूदेवी पत्नी हेमराज

निर्णय

18.11.2019 वकील श्री की चेतावनी के द्वारा आवेदक को घरेलू विद्युत कनेक्शन का पट्टा होने पर पत्रावली अस्थाई रूप से वकील श्री की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी का दावा पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक घरेलू विद्युत कनेक्शन किया जाता है। पत्रावली निस्तारित शुमार होकर बाद पश्चात कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(के. आर. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.29 12:53:14 IST
Reason: SelfAttested